



(निबंधित प्राप्ति रसीद सहित)

Registered with A/D

JH/RNC/ 31167

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

राष्ट्रीय कार्यालय, झारखण्ड

Regional Office, Jharkhand

Bhagirathi Complex, Near Circuit House

Karamtoli, Ranchi - 834001 (Jharkhand)

Phone : 0651 - 2209174, 2209185, 2209145, 2200035, 2200104

Fax No. : 0651 - 2209149

संख्या - जे. एच./क्ष० का०/राँची/अनुपालन/व्याप्ति/ दिनांक :-

No.-JH / RO / RNC / CC / Coverage/ 31167/3718 Date :- 26/10/05

सेवा में, असली वार्ता का उपलब्ध होना।

To,

M/s मेसर्स.

Interior Solution Services

E 7/9, E Block, Sainik Market
Main Road, Ranchi

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रवित स्कीमों का

मेसर्स पर लागू होना।

Sub : Applicability of the Employee's Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act,
on about 1952 and the Scheme framed thereunder to M/s. Interior Solution Services
Sainik Market, Main Road, Ranchi

महोदय,

Sir,

आपके द्वारा दिनांक को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरिक्षक/प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :

On the basis of particulars furnished by you on 23-10-05 and on the basis of the inspection of the record of your establishment conducted by the provident Fund Inspector/Enforcement officer on 26-10-05 it is evident that:

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स

जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल कार्य में लगी हुई है।

(a) Your establishment/factory viz M/s Interior Solution Services
is engaged in Engg & Engg Contrator, which is included in schedule 1/classes of establishment in Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952

(ख) उक्त स्थापना / फैक्री में दिनांक को व्यक्ति कार्यरत हैं।

(b) That the said establishment has employed 20 (Twenty) persons on 26-10-05

(ग) इसने कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(I) (ख) के उपबन्धों के अंतर्गत को 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, उसके मुख्य कार्यालय और उनकी बाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं..... तारीख को स्थायी/अस्थायी रूप से इस शर्त पर लागू है, कि आपके पूर्व रिकार्डों की पुनः जाँच की जाएगी।

(c) That it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16(I) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous provisions Act, 1952 ,of 5/3 years ontherefore, the provisions of the E.P.F. and Misc. Provisions Act. 1952 and the Scheme framed there under are applicable to your above named establishment together with head office and its branches whether situated at the same place or at different places w.e.f. 26-10-05 finally/provisionally subject to further verification of your records for the earlier period.

(घ) अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे प्राप्त आवेदन पत्र सं 0
दिनांक के संदर्भ में आपके स्थापना अर्थात मेसर्स
को कोड संख्या एलाट

किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से दिनांक से लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा (1) उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती।

(d) With reference to your application No. dated received for extension of E.P.F. & Misc Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the said Act, on a voluntary basis, a code no. is hereby allotted to your establishment namely M/s provisionally covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub section (4) of section 1 of the E.P.F. & Misc. Provision Act, 1952.

2 आपकी स्थापना कोड नम्बर कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् भविष्य निधि स्कीम, 1952 कटुम्ब पैण्डन स्कीम 1971, को पे० यो० 16.11.95 से प्रभावी और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के विभिन्न उपबन्धों अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्घृत किया जाना चाहिए।

The code No JH/RNC/ is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act. 1952 F.P.F. Scheme, 1971, Employees pension Scheme w.e.f. 16-11-95 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This code No. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

3. नियोक्ता द्वारा देय अंषदान को दर मूल वेतन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) निवार्ह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 12% प्रतिष्ठत की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंषदान की दर नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

The contribution payable by the employer shall be at the rate of 12% basic wages, dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal, to the contribution payable by the employer.

- (i) अंषदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, वाहे दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।
- (i) The Contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
- (ii) अंषदान को निकटतम रूपये में पूर्णकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को, एक रूपया माना जाएगा तथा 50 पैसे, से कम की गणना नहीं की जायगी।
- (ii) Each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e. 50 paise or more to be counted, as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.
- (iii) अंषदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रूपये में पूर्णकित किया जाएगा अर्थात् 50पैसे या उससे अधिक को एक रूपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी।
- (iii) For the purpose of calculation of contribution, the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.
- (iv) सदस्यों को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंषदान कार्ट और अपने अंषदान यथा प्रधासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 तारीख से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि लेखों में संबंधित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(क) क०भ० नि० अंषदान	क०भ० नि० लेखा सं० 01 में जमा कराया जाए।
(ख) प्रधासकीय प्रभार	क०भ० नि० लेखा सं० 2 में जमा कराए।
(ग) पेंचन अंषदान	प० लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए।
(घ) कर्मचारी पेंचन अंषदान	क०प० लेखा सं० 10 में 8.33 की दर से नियोक्ता का अंषदान जमा कराया जाए।
(1611.95 से प्रभावी)	

4 Before paying the member his wages, you shall deduct the employees contributions from wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separated challans in the following manner.

(a) E.P.F. contribution	To be deposited in E.P.F. A/e No. 1
(b) Administrative charges	To be deposited in EPF A/c No. 2
(c) Employees Pension contribution	To be deposited in Employee's Pension A/c No. 10
(d) Employee's Pension scheme	To be deposited in Employee's Pension Scheme @ 8.33% in contribution w.e.f. 16.11.95 A/c No. 10 from Employee's share

टिप्पणी :— (1) प्रधासकीय प्रभार की दर 01.08.98 से वेतन मूल, वेतन मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, 1.10% प्रतिष्ठत जो न्यूनतम 5 रूपये हैं।

Note : (i) The rate of administrative charges is 1.10% subject to a minlmium of Rs. 5/- w.e.f. 01.08. 98 of pay, basic wages, dearness, allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंषदान की कटौती निषेध है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ से वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण

(ii) It may be noted that if timely deduction are not made from the member wages the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear contributions for the back period from the subsequent wages the employees' is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time due to accidental mistake or clerical error.

(iii) परिवार पेंशन स्कीम इस कवरेज डेट के जारी होने के माह की पहली तारीख से लागू होगी।

(iii) The Employees Pension scheme will be applicable from the date i.e. 1st day of the month date of coverage.

(iv) कर्मचारी पेंशन स्कीम 16.11.95 के बाद वाले तिथि या इस कवरेज नोटिस के जारी होने के माह की वसूली तारीख से लागू होगी।

(iv) Employees Pension Scheme will be effective w.e.f. 16.11.95 will be applicable from prospective date i.e. 1st of the month of issue of this coverage notice.

(5) उल्लिखित लेखा संख्या 1,2,और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निषेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(5) Beside making deposits in account number 1,2, and 10 as explained above, you are also required to deposits the contributions and Adm charges in account No. 21 and 22 under the Employees Deposits Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(i) निषेप सहबद्ध बीमा निधि
लेखा संख्या 21

इस लेखों में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि को 0.5% होगा।

(i). Deposit Linked Insurance Fund
A/c No 21

To this account will be deposited the contribution
@ 0.5% Which will be the aggregate of the basic
wages dearness allowance including cash value of
food, concession and retaining allowance, if any
Payable to the employees by an employer.

(ii) क्षेत्रीय बीमा निधि—प्रशासकीय
लेखा संख्या 22

इस लेखा में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल संबंधी रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, कुल राशि का 0.01 प्रतिशत होगा। तथा न्यूनतम 2/- रुपये होगा।

(ii) Regional Insurance Fund Administrative

To this account will be deposited the administration charges
@ 0.01% (subject to minimum Rs. 2) Which will be the
aggregate of the basic wages, dearness allowance includ-
ing the cash value of food concession and retaining allow-
ance, if any payable to the employees, by an employer

उपरोक्त लेखों अर्थात् 1,2,10,21 और 22 में राशि चालान के माध्यम से जमा कराई जाएगी।

प्राप्त चालानों की तीन प्रतियाँ फार्म संख्या 12 (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

The Deposit in the above accounts, viz 1,2,10,21and 22 are to be made by challans and quarduplicate copies of the challans as received from the Bank, shloud be forward to this office duly attached with form No. 12 A (Revsed) (explained below)

6 आप से अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :—

You are required to maintain / forward the following return:-

- (i) क.भ.नि.स्कीम 1952 के अन्तर्गत फार्म सं0 9
प.स. स्कीम 1971 के अन्तर्गत तथा क पे. स्कीम
1995 के अन्तर्गत फार्म 3 (प.पे. निधि तथा क0 पे0 निधि)

ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री / स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गये हैं।

There are to be submitted to this office once in respect of these employees who are required or entitled to become member on the date the factory/establishment is covered under the Scheme. ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय भेजे जाने होते हैं।

- (i) Form No. 9 under the E.P.F. Scheme 1952 & form No. 3(F.P.F) / 3(PS) member under F.P. Scheme 1971 and E.P.S. 1995.

- (ii) क0भ0नि0 स्कीम 1952 और प0 पे0 निधि 1971 के अन्तर्गत तथा क0 पे0 स्कीम 1995 के फार्म सं सं 2 संशोधित

- (ii) Form No. 2 under the E.P.F. scheme' 1952, under the F.P Scheme 1971 and Employees Pension Scheme' 1995.

- (iii) फार्म सं0 5—क

These are to be obtained in duplicate from every member for sumission to this office.

ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

This is to be submitted to this office in duplicate Any subsquent changes in ownership is also to be notified to this office through this form.

ये फार्म प्रत्येक सदस्य / कर्मचारी सम्बंधित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म में भ0 नि0 में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टी करना होता है।

This is to be maintained at the factory establishment in repect of every employee who is a member in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3 के साथ (फरवरी माह से संबंधित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

This is the annual return of contribution and is to be submitted to this office within 30 days of close of the financial year, along with form-3A (Last contribution to be show, for Feb payable in March each year).

- (iii) Form No.5-A

- (iv) फार्म सं0 3—क (सं0)

- (iv) Form No.3-A (R)

- (v) फार्म सं0 6—क (सं0)

- (v) Form No. 6-A (R)

- (vi) फार्म सं0 12—क (सं0)

यह अंशदान का रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बंधित चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(vi) Form No. 12-A

This is the monthly return of contribution and is to be submitted to this office by 25th of every following month triplicate copies of the challans in support to the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(vii) फार्म सं0 5और 10

यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न हैं जो माह के दौरान गए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(vii) Form No. 5&10

These are the return of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कुटुम्ब पेशन निधि स्कीम, 1971, कर्मचारी पेशन स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।
7. All forms prescribed under the Employees Provident Fund Scheme, 1952, the Family Pension Fund Scheme 1971, Employees Pension scheme, 1995 and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the P.F. Office and will be supplied free of cost on receipt to your indent. The specimen of forms are enclosed.
8. क0 पें0 अंशदान 16.11.95 से अंशदान के संबंध में इन्हें नियोक्ता का 8.33% कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्म में अलग से दिखाकर केवल माह से लेखा सं0 10 में जमा कराया जाना होता है।
8. Regarding Employees pension Scheme 1995, wef 16-11-95 Employers Provident Fund Contribution @ 8.33% should shown separately in the respective Forms and remitted separately in Account No. 10 from the month of Oct' 05only.
9. कर्मचारी भविष्य निधि, प0 पें0 निधि अंशदान, और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित बकाया राशि माह का दिनांक को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।
9. As regards the arrears Employees Provident Fund/ Employees Pension scheme/ and Employees Deposit Linked dues for the period from should be remitted on or before
10. यदि स्कीम को लागू करते समय फार्म सं0 9 दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्यनिधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जाय और चालान की तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समर्त राशि से सम्बन्धित सभा प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण संबंध में दिए गए निर्देशों से संबंधित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपकी निर्धारित दर से शास्त्रिक नुकसान अदा करनी होगी।
10. In case, the employees shown in form 9 were the members of the establishment's private provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulation in the provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. 1 through the prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amount relating to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees.

7

Employees Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

कृपया पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की कृपा करें।

The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged.

(Shailendra Kumar)

सहायक / क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची

Asstt. Regional Provident Fund Commissioner, Jharkhand Ranchi

अधुलग्नक :

Encl :

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा की लागू करने से संबंधित निर्देश।
1. Instructions regarding implementation of the Employees Provident Fund scheme, Family Pension Scheme, Employees Pension scheme 1995 and Employees Deposit Linked Insurance Scheme,
2. लेखा संख्या अलाट करने से संबंधित निर्देश।
2. Instructions regarding allotment of Account No.
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभुतियों का हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित निर्देश।
3. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund Accumulations and transfer of securities.
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, को पैंच स्कीम अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी रेकनर।
4. Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution, Employees Pension Scheme Contribution and Deposit Linked Insurance contribution.

प्रतिलिपि : जे.एच./क्षे. का. / राँची / अनुपालन / व्याप्ति/

Copy : JH./Ro./RNC/ CC/ Coverage/

दिनांक

Date

राँची, १०.०८.२०१५

- 1 लेखा अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालय (यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री / स्थापना के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि उपलब्ध है/ नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाए। R A S
- 1 Accolunts Branch Regional Office (It is understood that this factory/ establishment has/ had no previous Provident Fund accumulations to transfer to Employees Provident Fund. This may please be noted in the contributions register maintained in the group with suitable remarks).

2 कम्प्यूटर अनुभाग
2 EDP Section

3 कभरेज गार्ड फाईल
3 Coverage Guard file
4 प्रवर्तन पदाधिकारी
4 Enforcement Officer

सहायक/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
झारखण्ड, राँची

Assistant/ Regional Provident Fund Commissioner

Jharkhand,Ranchi.